...पेश हुई। पक्षकार ... अ
... पी.ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 10/12/24

10/12/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप.। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सामने कर पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थीगण) की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दिवानी खारिज अपास्त कर दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 211/2012 अन्तर्गत धारा 88 में पारित आदेश दि. 29.8.16 अपास्त किया जाकर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश विस्तृत रूप से पृथक से तैयार कर आदेश [illegible] किये गये। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 232/2018

1. हरि पुत्र जमना जाति गुर्जर
2. हरजी पुत्र जमना जाति गुर्जर
3. किशन पुत्र जमना जाति गुर्जर

सर्वनिवासीगण चांदी की टकसाल पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर

– अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी खारिजी अपास्त कर दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत्

आदेश

दिनांक 10/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद हुसैन माजवी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी खारिजी अपास्त कर दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद संख्या 211/2012 बाबत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा था। उक्त प्रकरण वास्ते मौका रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ हेतु नियत चला आ रहा था। जिसमे मौका निरीक्षण कर तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी प्रकरण में प्रार्थीगण के वकील श्री हुकमीचन्द सेठी अधिवक्ता नियुक्त थे जिन्होने प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण मौका रिपोर्ट मे होने के कारण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही होने हेतु मोखिक निर्देश दे रखे थे तथा आवश्यक होने पर उपस्थिति की सूचना देने बाबत् बताया गया था, दिनांक 29.08.2016 को उक्त पत्रावली सुनवाई हेतु नियत होना प्रोसिडिंग की नकल लेने पर ज्ञात हुआ तथा उक्त दिनांक को दावा अदम हाजरी व अदम पेरवी में खारिज कर दिया गया जिसकी वादीगण को कोई जानकारी नही थी उक्त प्रकरण मे हम वादीगण के वकील श्री हुकमीचन्द सेठी थे जिनका अक्समात हार्ट अटेक से देहान्त हो गया जिसकी वादीगण को जानकारी नही हुई दिनांक 29.08.2016 को पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत थी तथा तनकीया कायम करने का कार्य न्यायालय का था, न्यायालय ने तनकी नही बनाकर दावा अदम पेरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया जो कानून के प्रावधानो के अनुसार गलत है हम वादीगण को उक्त दिनांक 29.08.2016 को दावा खारिज होने की जानकारी नही थी इसलिये वादीगण तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो सकें वादी हरजी किसी अन्य कार्य से न्यायालय हाजा में उपस्थित होने पर दिनांक 09.07.2018 को उक्त वाद 29.08.2016 को खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई तब उसने नकल के लिये दिनांक 09.07.2018 को आवेदन कर नकल दिनांक 09.07.2018 को मिलने से जानकारी प्राप्त होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, प्रार्थना पत्र जानकारी प्राप्त होने की दिनांक 09.07.2018 व नकल लेने से दिनांक 09.07.2018 से अन्दर मियाद 30 दिन में प्रस्तुत है, वादीगण के वकील का अक्समात हार्ट से निधन होने व सूचना नही होने से तथा प्रकरण मौका रिपोर्ट में होने से जानकारी के अभाव में उपस्थित नही होने का उचित व सदभावना पूर्ण कारण होने से दावा पुनः सुनवाई हेतु रिकार्ड पर लेने का उचित कारण होने से दिनांक 29.08.2016 के आदेश को अपास्त किया जाकर दावा को पुनः सुनवाई हेतु रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना वास्ते शीघ्र सुनवाई को न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु तलब की गई।

दिनांक 26.11.2024 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी की तलवी होने के बावजूद जवाब पेश नही किया गया है। दिनांक 19.11.2024 को प्रार्थीगण की और से पत्रावली तलब कर अतिआवश्यक सुनवाई किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश

कर निवेदन किया की उपरोक्त उनवान सन् 2012 से न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्ष 2016 में अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज हो चुका है। इसके बाद रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है एवं आगामी सुनवाई तारीख 16.12.2024 को नियत है प्रार्थीगणो को कई समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। अतः पत्रावली तलब कर अतिआवश्यक सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया प्रार्थीगणो ने अदम हाजरी अदम पेरवी का कारण अपने अधिवक्ता का देहान्त हो जाना जाहिर किया है। यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिवक्ता के स्तर पर हुई किसी भूल का खामियाजा पक्षकार को नही मिलें इस हेतु पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता। अतः अधिवक्ता के देहान्त से उत्पन्न परिस्थिति के कारण पक्षकार को दण्डित करना न्यायपूर्ण नही है। प्रकरण में प्रार्थीगणो के अधिवक्ता का देहान्त हो जाना युक्तिसंगत कारण होने से प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 211/2012 अन्तर्गत धारा 88 मे पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)